

संख्या- 1243 /1-10-2015-33(48)/2015

प्रेषक,

डा० अशोक कुमार वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच, उन्नाव, देवरिया एवं फैजाबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: २२ दिसम्बर, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में दैवी आपदा मद में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विवरण तथा शतों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ₹ 0 1,40,00,000/- (रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवारण पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम/पत्रांक व दिनांक	प्रस्तावित धनराशि (रुपये में)
1	बहराइच, संख्या-2346, दिनांक 11.12.2015	50,00,000
2	उन भव, संख्या-617, दिनांक 15.12.2015	20,00,000
3	देवरिया, संख्या-104, दिनांक 17.12.2015	40,00,000
4	फैजाबाद, संख्या-100, दिनांक 19.12.2015 पुराना राशि 1,40,00,000 (सापें दो करोड़ चालीस लाख रुपये)	2,00,000 1,40,00,000

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3- इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं- अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बाढ़ फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनार्मी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि टी0आर0-27 से धनराशि आहरित की गयी है तो उसका समायोजन अवश्य कर लिया जाय।

4- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अह मानक मर्दों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मर्दों में राहत अनुमत्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाये। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24.09.2008 वे उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मर्दों में दिये जाने वाले ₹0 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा ₹0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्ट ऐयी चेक के माध्यम से ही किया जाये।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्थीरता प्राप्त करने के उपरान्त निम्नानुसार प्रतिवा का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवांशों के अन्दर दिया जायेगा।


7- राहत की धनराशि को प्राप्ति पाने व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपात्र एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे गणितेख में रखा जाये। निर्धारित सहायता की सूची ग्राम सभा के लोटिरा बर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

8- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किरणी सरकारी निधि का राशनीय छाँगीकारी नहो हस्ताक्षर करकर अप्तो कर्तव्य के इर्दी श्री कर ली जाती है। यह आपदा के अनुसार राहत की आपदा की निर्धारण करका अवृत्ति को अवृत्ति करदा तो इसका अनुपालन सुनिश्चित लापता चलता है। इसके लिए आपदा के अवृत्ति करदा तो इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं है। इसी आपदा की अवृत्ति करदा तो इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं है।

9- आपदा मोर्चक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू०प्र०.एनआईसी०.इन पर फ़िड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोर्चक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-य०प्र०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष के स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

10- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

11- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(डा० अशोक कुमार वर्मा)
सचिव।

संख्या:- १२५३ (१)/१-१०-२०१५, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, ३०प्र० इलाहाबाद।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं स'वेद, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
- 4- निजी रांगेव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सांगेव राजस्व ३०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ नित्य एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, ३०प्र०।
- 6- सम्बन्धित गुरु। कोपाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०री० बोर्ड भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.य०प्र०.एनआईरी०.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व ३०प्र० अनुभाग-१०/राजस्व ३०प्र० अनुभाग-६/११, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- वित्त विभाग निवारण अनुभाग-५
- 10- ग्राहक पक्षिल।

वित्त विभाग
राजस्व विभाग
ग्राहक पक्षिल